न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **पी० के० सिंह**, एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**0003339/2016**

भोलू पुत्र महेश चन्द्र, निवासी सन्तोष नगर, गली नं०–4, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद। ---------- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ---------- विपक्षी।

थाना-उत्तर,
अपराध सं०-548/2016
धारा-147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं०
जिला-फिरोजाबाद।

आदेश

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, अभियुक्त भोलू की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–548/2016, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं०, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना इस प्रकार है कि वादी हरपाल सिंह की शादी दिनांक 21–04–2016 को थी। बारात वापस आने पर वह अपने घर पर बैठा हुआ था। चार मोटर साइकिलों पर अमित, रवी, आकाश, भोलू, दीपू व एक व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं था, आये और गाली गलौज करने लगे, मना करने पर असलाह निकाल लिए, जान से मारने की नीयत से फायर खोल दिया, वह दीवार के सहारे छिपकर भागा, बाल–बाल बचा। फायर की आवाज सुनकर मौहल्ले के बहुत से लोग आ गये। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं० में दर्ज करायी गयी।

अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह–अभियुक्तगण कन्हैया लाल गुप्ता, आकाश, अमित की जमानत हो चुकी हैं। फायर आर्म्स की किसी को कोई चोट नहीं आयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

मैंने, तर्क सुने, पत्रावली का अवलोकन किया। सह–अभियुक्तगण के जमानत आदेशों का अवलोकन किया। समानता के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

प्रार्थी/अभियुक्त भोलू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि अनुसार रूपए 20,000/– (बीस हजार रूपए) की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनांक 10-01-2017

(पी०के० सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।